भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1175
बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940 (शक)

'मेक इन इंडिया' पहल के बाद रोजगार का
सृजन

1175. श्री पी॰एल॰ पुनियाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सितम्बर, 2014 में 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत से अब तक सृजित नए रोजगारों और रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का वर्षवार, राज्य-वार और क्षेत्र-वार आंकड़ा क्या है;
(ख) क्या सरकार देश में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल में व्यापक सुधार लाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसी सुधारकृत पहल का केन्द्र किस श्रम प्रधान क्षेत्र को बनाया जाएगा; और
(घ) सरकार व्यवसाय को आसान बनाने के नाम पर श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए श्रम कानून का और सुदृढ़ीकरण किस प्रकार सुनिश्चत करेगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत सरकार ने विनिर्माण, डिजाइन एवं अभिनव परिवर्तन हेतु एक ग्लोबल हब तथा एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में भारत को प्रोन्नत करने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की। समय-समय पर कई केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निवेश प्रोन्नयन क्रियाकलाप किए गए हैं।

सरकार ने, देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने श्रम-बहुल विनिर्माण को कार्यनीतिक रूप से बढ़ावा देकर एवं पर्यटन तथा कृषि-आधारित उद्योगों के संवर्धन द्वारा रोजगार अवसरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु उनके पंजीकरण की तारीख से ईपीएस एवं ईपीएफ के नियोक्ताओं के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान 01.04.2018 से अगले 3 वर्षों के लिए कर रही है। 4 फरवरी, 2019 तक 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभांवित किया गया है।

सरकार ने समर्थनकारी वातावरण का सृजन करके श्रम सुधारों की भी शुरूआत की है, ताकि व्यापार करने को आसान, अनुपालन को सुगम, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और असंगठित कामगारों के सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार करने की सुविधा प्रदान की जा सके। यह अपेक्षा की जाती है कि जो श्रम सुधार द्वारा सृजित किए गए समर्थनकारी वातावरण निवेश एवं रोजगार सृजन को सुकर बनाएंगे।

अनुबंध

'मेक इन इंडिया' पहल के बाद रोजगार का सृजन के संबंध में राज्य सभा के दिनांक 13.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1175 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (31.12.2018 को)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	790	293	1398	1744	1104
2	आंध्र प्रदेश	12220	7740	14148	12216	9728
3	अरुणाचल प्रदेश	2871	104	1984	1672	1504
4	असम	15535	9026	31498	18256	16752
5	बिहार	9240	19624	25872	18456	11688
6	चंडीगढ़	160	323	376	360	0136
7	छत्तीसगढ़	5821	9496	12856	11704	12896
8	दिल्ली	1584	2048	952	920	424
9	गोवा	406	500	660	400	304
10	गुजरात*	18107	14960	11629	15008	15720
11	हरियाणा	7024	7232	11016	13744	9232
12	हिमाचल प्रदेश	6352	5134	6916	7088	6296
13	जम्मू और कश्मीर	11025	12115	11691	30024	31160
14	झारखंड	8495	12873	10400	8888	5032
15	कर्नाटक	21825	17284	30286	16920	16624
16	केरल	9738	9653	13068	10776	10624
17	लक्षद्वीप	93	00	00	00	0
18	मध्य प्रदेश	21896	16497	15520	14432	9040
19	महाराष्ट्र**	28311	20161	17799	26632	24496
20	मणिपुर	829	2715	8419	4800	4864
21	मेघालय	3680	4824	2632	600	1496
22	मिजोरम	6736	9072	3400	1992	3600
23	नागालैंड	2407	4998	7783	7440	3432
24	ओडिशा	10211	17629	20392	19192	12976
25	पुडुचेरी	386	447	699	352	384
26	पंजाब	6438	7762	9858	12160	7936
27	राजस्थान	15002	14537	13408	12614	10296
28	सिक्किम	54	397	201	296	232
29	तमिलनाडु	36190	20836	25764	32760	23408
30	तेलंगाना	6604	7761	6445	9520	8376
31	त्रिपुरा	6333	5355	17961	8928	3120
32	उत्तर प्रदेश	48604	43059	36315	43456	27600
33	उत्तराखंड	7889	6161	9890	12904	10144
34	पश्चिम बंगाल	24646	12746	26604	10928	11352
	कुल	357502	323362	407840	387184	311976

**दमन व दीव सहित

** दादरा व नागर हवेली सहित

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

क्र.सं.	राज्य		सृजित मानवदिवसों की संख्या (करोड़ में)			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 30/01/2019 को
1	आंध्र प्रदेश	15.59	19.92	20.60	21.20	20.23
2	अरुणाचल प्रदेश	0.19	0.50	0.85	0.43	0.42
3	असम	2.11	4.86	4.66	4.82	3.28
4	बिहार	3.52	6.71	8.58	8.18	9.57
5	छत्तीसगढ़	5.56	10.14	8.86	11.99	10.33
6	गोवा	0.02	0.011	0.013	0.010	0.001
7	गुजरात	1.81	2.25	2.71	3.53	3.25
8	हरियाणा	0.62	0.48	0.85	0.90	0.59
9	हिमाचल प्रदेश	1.91	1.78	2.37	2.20	2.35
10	जम्मू और कश्मीर	1.21	3.16	3.16	3.78	2.49
11	झारखंड	4.53	5.86	7.07	5.93	4.20
12	कर्नाटक	4.33	5.98	9.14	8.58	8.02
13	केरल	5.89	7.42	6.85	6.20	7.09
14	मध्य प्रदेश	11.75	12.37	11.30	16.23	16.60
15	महाराष्ट्र	6.14	7.63	7.09	8.25	6.41
16	मणिपुर	1.01	0.75	1.19	0.61	0.51
17	मेघालय	1.67	2.00	2.83	2.92	2.27
18	मिजोरम	0.43	1.31	1.68	1.44	1.35
19	नागालैंड	0.90	2.12	2.91	2.37	0.79
20	ओडिशा	5.35	8.94	7.74	9.22	6.79
21	पंजाब	0.65	1.44	1.58	2.23	1.53
22	राजस्थान	16.86	23.41	25.96	23.98	19.16
23	सिक्किम	0.24	0.44	0.46	0.35	0.26
24	तमिलनाडु	26.80	36.87	39.99	23.89	18.89
25	तेलंगाना	10.32	14.18	10.82	11.47	10.71
26	त्रिपुरा	5.12	5.39	4.61	1.76	2.09
27	उत्तर प्रदेश	13.12	18.22	15.75	18.17	17.48
28	उत्तराखंड	1.47	2.24	2.37	2.23	1.69
29	पश्चिम बंगाल	16.96	28.65	23.56	31.26	31.00
30	अण्डमान और निकोबार	0.05	0.03	0.04	0.02	0.13
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32	दमन और दीव	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00032	0.00001	0.00059	0.0008
34	पुडुचेरी	0.04	0.06	0.05	0.07	0.06
	कुल	166.19	235.14	235.65	234.22	209.40

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग) पं. दीन दयाल उपाध्याय- ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 14-15	वित्त वर्ष 15-16	वित्त वर्ष 16-17	वित्त वर्ष 17-18	वित्त वर्ष 18-19 दिसंबर, 18 तक, 10.01.19 को (एमपीआर के अनुसार)
		नियोजित	नियोजित	नियोजित	नियोजित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	2910	1989	18966	10954	21620
2	असम	1626	3022	1479	3464	5257
3	बिहार	4210	3685	4216	4859	5019
4	छत्तीसगढ़	0	4463	1987	539	2193
5	गुजरात	5007	5083	2075	160	928
6	हरियाणा	1141	8807	586	5832	4065
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	245
8	जम्मू और कश्मीर	10677	16524	6453	1424	152
9	झारखंड	1587	1314	2355	2375	1767
10	कर्नाटक	76	5443	4432	4752	4148
11	केरल	0	2446	5598	4175	7534
12	मध्य प्रदेश	1772	3954	3546	1823	1650
13	महाराष्ट्र	0	0	3694	7390	2404
14	मेघालय	0	0	0	0	202
16	ओडिशा	6779	18001	45726	14035	23672
17	पंजाब	0	0	0	563	1372
18	राजस्थान	425	12844	3397	693	2782
19	सिक्किम	0	205	70	0	0
20	तमिलनाडु	11939	9375	30780	765	121
21	तेलंगाना	0	1830	9150	9048	13123
22	त्रिपुरा	0	75	342	526	1320
23	उत्तर प्रदेश	4464	8552	2052	892	2973
24	उत्तराखंड	0	0	0	0	157
25	पश्चिम बंगाल	1223	1900	979	1518	2362
	कुल	54196	109512	147883	75787	105066

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

(घ) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

(ईएसटीएंडपी) घटक के तहत रखे गए नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या

23.01.2019 को

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15 नियोजित	2015-16 नियोजित	2016-17 नियोजित	2017-18 नियोजित	2018-19 नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	182	3116	35882	12010	39148
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	113	297
3	असम	0	0	293	1284	261
4	बिहार	0	90	176	1546	354
5	छत्तीसगढ़	655	3513	5858	6476	3675
6	गोवा	0	0	66	639	1115
7	गुजरात	0	226	3920	6388	8981
8	हरियाणा	282	0	0	685	556
9	हिमाचल प्रदेश	0	196	86	100	149
10	जम्मू और कश्मीर	0	254	0	25	60
11	झारखंड	0	0	2700	20795	3334
12	कर्नाटक	0	3527	637	898	0
13	केरल	0	0	443	2413	2566
14	मध्य प्रदेश	2337	4307	38060	3039	22913
15	महाराष्ट्र	0	0	11768	6083	12036
16	मणिपुर	0	6	0	0	62
17	मेघालय	0	0	317	111	7
18	मिजोरम	0	0	147	91	934
19	नागालैंड	1866	691	341	1749	0
20	ओडिशा	0	0	2467	776	0
21	पंजाब	0	0	0	1139	1049
22	राजस्थान	0	0	0	33	1633
23	सिक्किम	0	0	0	0	228
24	तमिलनाडु	52988	6262	0	1156	1911
25	तेलंगाना	2628	3718	1861	10013	4249
26	त्रिपुरा	0	0	0	2	214
27	उत्तर प्रदेश	0	0	42174	30058	28
28	उत्तराखंड	0	0	1731	0	733
29	पश्चिम बंगाल	2083	6322	2691	6919	1257
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	कुल	94	1436	283	875	0
32	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
33	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
34	असम	0	0	0	0	0
35	बिहार	0	0	0	0	0
	छत्तीसगढ़	63115	33664	151901	115416	107750

स्रोत: आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय